

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक मई, 2013

पत्र संख्या-1/एल1-10-10/2013 गृ0आ0 /श्रीमती निताशा गुड़िया, भा0पु0से0, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज सम्प्रति समादेष्टा, अश्वारोही सैन्य पुलिस, आरा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 26.01.2013 से 11.02.2013 तक कुल-17 (सत्रह) दिनों की उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-10/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मई, 2013  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-10/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मई, 2013  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-10/2013 गृ0आ0 4046 /पटना, दिनांक 27 मई, 2013  
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्रीमती निताशा गुड़िया, भा0पु0से0, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज सम्प्रति समादेष्टा, अश्वारोही सैन्य पुलिस, आरा/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
24/5/13  
सरकार के संयुक्त सचिव।